~~2010/0002~~

2010/0002

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 3/2010 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. रामकिशन पुत्र सेवाराम जाति रेगर नि0 कोटा (रेजोनेन्स वाला)
2. इन्दू बेवा जगमोहन जाति कायस्थ निवासी विज्ञानगर कोटा
3. हरवंश कौर पत्नी गुरूनाम सिंह नि0 प्रताप नगर कोटा
4. पदमकुमार जैन पुत्र अमोलक चन्द जैन नि0 बल्लभबाडी कोटा
5. विपिन कुमार जैन पुत्र गुलाबचन्द जैन नि0बल्लभबाडी कोटा
6. बलजिन्दर सिंह पुत्र अजायब सिंह नि0 कैथोडी तहसील लाडपुरा
7. जसवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह नि0 छावनी कोटा
8. तलविन्द्र रिंह पुत्र करमसिंह नि0 छावनी कोटा
9. रामकरण पुत्र सालगराम मीना नि0 केथोडी तहसील लाडपुरा
10. देवेन्द्र दास चेला रामचरण दास पुजारी मंदिर श्री शेषधर नाथ जी विराजमान फतेहगढी रामपुरा कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द रिंह राजकीय अभिभाषक
2. श्री धीरेन्द्र कुमार व श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री राजेश यादव श्री दीनानाथ गालव व श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (अभिभाषक अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स केस बाबत माफी शेषधरनाथ जी विराजमान कोटा (फतेहगढी) के खाते की भूमि 650 बीघा 18 बिस्वा ग्राम केथोडी को अन्य व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से अपने नाम करवाने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक :08.11.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर में प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि माफी मंदिर श्री शेषधर नाथ जी के खाते की 650 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम केथोडी तहसील लाडपुरा मे विभिन्न व्यक्तियों द्वारा गलत ढंग से अपने नाम करवा ली है । अतः पक्षकारान के नाम दर्ज भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री शेषधर नाथ जी के खाते मे दर्ज करवाने की कार्यवाही की जावे । उक्त रेफरेन्स को न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा सुनवाई कर प्रकरण धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रेफरेन्स का न होकर

धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती का होना मानते हुए ग्राम कैथोडी तहसील लाडपुरा के खाता संख्या 32 मे कुल किता 62 कुल रकबा 650 बीधा 18 बिस्वा भूमि सम्वत् 2003–06 की जमाबन्दी में मंदिर श्री शेषधर नाथ जी की भूमि को पुनः मंदिर के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने के आदेश दिये गये ।

2. उक्त आदेश से व्यथित होकर पक्षकारान द्वारा इसकी अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा मे की गई । मा0 न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 27.08.2003 मे मानते हुये की विवादित आराजी सम्वत् 2003–06 की जमाबंदी में मूर्ति मंदिर श्री शेषधर नाथ जी महाराज के नाम 650 बीधा 18 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज जमीन का हस्तान्तरण प्रतिबंधित है परन्तु चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष रेफरेन्स का प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया गया है, जिसे पक्षकारान की सुनवाई का अवसर देते हुए रेफरेन्स प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अपनी राय के साथ प्रस्तुत करना चाहिए था । इस प्रकरण मे कतिपय पक्षकारों की मृत्यु हो चुकी है । अतः माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.08.2006 मे अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2003 को पारित आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होना मानते हुए अपील स्वीकार कर मंदिर श्री शेषधर नाथ जी के खाते मे दर्ज भूमि पर काबिज काश्तकार की आदिनांक सूची बनाने तथा उनकी सुनवाई कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स भिजवाने के निर्देश दिए ।

3, न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 23.08.2006 की पालना मे तहसीलदार लाडपुरा से रेफरेन्स प्रकरण मे मंदिर श्री शेषधरनाथ जी के खाते दर्ज भूमि पर काबिज काश्तकारों की आदिनांक सूची प्राप्त की गई तथा उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त सूची के अनुसार मंदिर श्री शेषधर नाथ जी महाराज के खाते मे दर्ज भूमि पर काबिज काश्तकार निम्नानुसार है :–

(1) रामकिशन पुत्र सेवाराम जाति रेगर नि0 कोटा (रेजोनेन्स वाला) के खाते में ख0 नं0 75 की 0.21 है0, 78 की 1.95 है0, 79 की 1.45 है0, 80 की 0.17 है0, 137 की 2.54 है0, 137/270 की 1.39 है0, 138 की 0.31 है0, 139 की 3.05 है0, किता 8 रकबा 11.07 है0 दर्ज है ।

(2) इन्दू बेवा जगमोहन जाति कायस्थ विज्ञान नगर कोटा के खाते में खसरा नं0 115 की 0.10 है0, 116 की 0.02 है0, 117 की 0.06 है0, 118 की 0.60 है0, 142/265 की 0.07 है0, 143 की 0.74 है0, किता 6 रकबा 1.59 है0 दर्ज है ।

(3) हरवंश कौर पत्नी गुरूनाम सिंह प्रताप नगर कोटा के खाते में 208 रकबा 0.68 है0,,216 की 0.05 है0, 217 की 0.95 है0, 220 की 1.57 है0,221/252 की 0.10 है0, 222 की 0.18 है0, 223 की 0.84 है0, 234 की 2.89 है0, 235 की 2.74 है0, 236 का 1/2 1.70 है0,किता 10 रकबा 11.70 है0 दर्ज है ।

(4) पदमकुमार जैन पुत्र अमोलक चन्द जैन एवम् विपिन कुमार जैन पुत्र गुलाब चन्द जैन बल्लभबाडी कोटा के खाते में ख0 नं0 209 की 0.04 है0, 210/271 की 0.93 है0,, 229 की 5. 15 है0, 231 की 1.87 है0, किता 5 रकबा 8.11 है0 दर्ज है ।

(5) विपिन कुमार जैन पुत्र गुलाबचन्द जैन बल्लभबाडी कोटा के खाते में ख0 नं0 210 की 0.68 है0, 224 की 1.67 है0, किता 2 रकबा 2.35 है0 दर्ज है ।

(6) बलजिन्दर सिंह पुत्र अजायब सिंह नि0 केथोडी के खाते मे ख0 नं0 236 का 1/2 रकबा 1.70 है0, 237 की 2.78 है0, किता 2 रकबा 4.48 है0 दर्ज है ।

(7) जसवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह नि0 छावनी कोटा के नाम ख0 नं0 238 रकबा 2.98 है0 दर्ज है ।

(8) तलविन्दर सिंह पुत्र करम सिंह नि0 छावनी कोटा के नाम ख0 नं0 240 रकबा 3.53 है0 दर्ज है ।

(9) रामकरण पुत्र सालगराम मीना नि0 केथोडी के नाम 149 रकबा 0.70 है0 दर्ज है ।

(10) देवेन्द्रदास चैला रामचरणदास पुजारी मंदिर श्री शेषधरनाथ जी फतेहगढी रामपुरा कोटा के नाम ख0 नं0 17/263 की 0.33 है0,19 की 0.19 है0, 38 की 2.51 है0,39 की 0.22 है0, 40/256 की 0.07 है0, 41 की 2.94 है0, 42 की 0.93 है0, 45 की 2.63 है0, 48 की 1.01 है0, 51 की 0.81 है0, 54 की 0.95 है0, 60 की 1.68 है0, 62/250 की 0.10 है0, 63 की 0.25 है0, 64 की 2.62 है0, 68 की 0.12 है0, 71 की 4.04 है0, 73 की 2.93 है0, 76 की 2.59 है0, 82 की 0.13 है0, 83 की 1.18 है0, 84 की 1.68 है0, 85 की 0.20 है0, 86 की 5.90 है0, 124 की 2.37 है0, 145 की 2.97 है0, 179 की 4.23 है0, 180 की 0.21 है0, 181 की 0.55 है0, 197 की 0.19 है0, 198 की 0.02 है0, 203 की 0.01 है0, 204 की 0.03 है0, 205 की 0.17 है0, 207 की 0.32 है0, 211 की 0.12 है0, 225 की 2.39 है0, 232 की 3.22 है0, 232/273 की 0.23 है0, 233 की 2.14 है0, 49 की 1.80 है0 किता 41 रकबा 56.98 हैक्टर दर्ज है ।

4. माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णयानुसार मंदिर श्री शेषधरनाथ जी के खते की आराजी पर काबिज समस्त काश्तकारों को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये । विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस मे जाहिर किया कि विवादित आराजीयात मंदिर माफी श्री शेषधर नाथ जी महाराज की खातेदारी की आराजीयात है जिसका हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है । अतः चूंकि उक्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पक्षकारान के खाते मे दर्ज की गई है । अतः रेफरेन्स स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे भिजवाया जाये ।

5. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस मे कथन किया कि विवादित आराजीयात मंदिर माफी के खाते मे दर्ज होने का कोई सबूत नही है और न ही मंदिर मूर्ति का कोई कब्जा काश्त रहा है । जागीर रिजम्शन के वक्त भूमि मंदिर माफी का होना साबित नही है । अतः रेफरेन्स खारिज किया जाये । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2017 (1) पेज 433,518 व आरआरटी 2016 (1) पेज 435 पेश किये ।

6. पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया व विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया । विवादित आराजीयात ग्राम कैथोडी तहसील लाडपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2003–06 में मंदिर माफी शेषधर नाथ जी महाराज के खाते की कुल 62 किता कुल रकबा 650 बीघा 18 बिस्वा खातेदारी मे दर्ज होना पायी जाती है । चूंकि उक्त भूमि मंदिर मूर्ति के खातेदारी मे दर्ज थी । अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि का हस्तान्तरण प्रतिबंधित है । उक्त भूमि का किसी भी प्रकार से किया गया हस्तान्तरण अवैध व प्रभावशून्य है । विवादित भूमि पर काबिज काश्तकारों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे साबित होता हो कि उक्त भूमि पूर्व में मंदिर मूर्ति के खातेदारी मे दर्ज नही थी । ऐसी स्थिति मे तहसीलदार द्वारा पेश किया गया रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कैथोडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित आराजीयात जो इस निर्णय के पैरा सं0 3 मे वर्णित है को पुनः मंदिर माफी श्री शेषधर नाथ जी महाराज के खातेदारी मे दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाने के आदेश प्रदान किए जाते है ।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा